(5) **हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम**

H.P. Women Development Corporation

उद्देश्य महिला उद्यमियों, महिला सहकारी समितियों तथा महिला संगठनों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

पात्रता 18 वर्ष आयु से अधिक की महिला जिनकी परिवारिक वार्षिक आय 50000/–रु0 से कम हो।

सहायता स्वरोजगार स्थापित करने हेतु निम्नलिखित ब्याज दरों पर निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाये जाते है:–

(1) 30000/–रु0 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण।

(2) 50000/–रु0 से अधिक 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण।

(3) व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जैसे जे0बी0टी0, नर्सिग, होटलमैनेजमैंट , एम0बी0ए0, एम0बी0बी0एस0, इंजिनियरिंग, एल0 एल0 बी0 तथा बी0 एड0 इत्यादि हेतु 75000/–रु0 तक ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते है वशर्ते कि उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रु0 से कम हो।

प्रक्रिया ऋण के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसके साथ आय तथा हिमाचली प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

सम्पर्क–अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त एवं विकास निगम/सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति निगम।